कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा(, उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन-कौलागढ़ देहरादून ,248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-91/2017-18/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,

पौड़ी गढ़वाल

विषय : जिला ग्राम्य विकास टिहरी देहरादून का वर्ष ,2014-15 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ में (शून्य प्रस्तर -भाग ,2 (ब0 में (4 प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग -2 (अ पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं ,के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव (भाग 2(बके सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है। (

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरिस्थानीय निकाय/लेखापरीक्षा अधिकारी .

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 91/2017-18/ दिनांक: /01/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आयुक्त ग्राम्य विकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।

2- मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड ।

वरिस्थानीय निकाय/लेखापरीक्षा अधिकारी .

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या -91 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण आख्या **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण**, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, **पौड़ी** 2014-15 से 2016-17 तक के लेखा अभिलखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एल.एस.लिंगवाल एवं श्री के.एस.चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.11.2017 से 29.11.2017 तक श्री आर.के.जोगी लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–प्रथम

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.के.जोगी. स0ले0प0अ0 द्वारा दिनांक .....से ..... तक श्री ए.सी.कटियान व.ले.प. अ. के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह ..... से तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी थी।
2. **(i) इकाई के कियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र–**

   (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाए)

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1:- सुखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं **5** से **9** वर्ष के विलम्ब के बावजूद अपूर्ण तथा केन्द्र दवारा ध्येय धनराशि में से रू **3.66** करोड अप्राप्त।

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों में हरियाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने, वर्षा जल के संभरण व प्रबंधन दवारा ग्राम पंचायतों के लिए नियमित आय के स्त्रोतों का सृजन करने तथा सामुदायिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्य किया जाता है। हरियाली से संबन्धित सुखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय दवारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर से परियोजनाएं तैयार कर राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की जाती है जिन के कार्यान्वयन हेतु 75 प्रतिशत की धनराशि भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार वहन करती है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पौडी की लेखापरीक्षा (नवम्बर 2017) के दौरान आठवें, ग्यारहवें तथा बारहवें बैच की परियोजनाओं से संबन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिस का विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

	आठवाँ बैच	ग्यारहवां बैच	बारहवाँ बैच
परियोजनाएं पूर्ण किए जाने का निर्धारित वर्ष	2007-08	2010-11	2011-12
परियोजना से आछादित होने वाला क्षेत्रफल	15000 है0	17500 है0	18500 है0
आछादित होने वाले क्षेत्रफल के सापेक्ष वर्तमान तक विकसित क्षेत्रफल	12015 है0	12218 है0	17833 है0
स्वीकृत लागत	900.00	1050.00	1110.00
ध्येय केंद्रान्श	675.00	787.50	832.50
ध्येय राज्यान्श	225.00	262.50	277.50
प्राप्त केंद्रान्श	506.25	590.63	832.50
निर्धारित अवधि तक अवमुक्त राज्यान्श	175.49	200.17	280.93
वर्ष 2016-17 में अवमुक्त राज्यान्श	66.41	52.81	68.80

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आच्छादित होने वाले क्षेत्रफल पूर्ण रूप् से विकसित नहीं किया जा सका तथा परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के 5 से 9 वर्ष के विलंब के बावजूद परियोजनाएं अपूर्ण रहीं।

अभिकरण के अधीन कार्यरत जलागम समितियों तथा पंचायतों को जो धनराशि अवमुक्त की गई थी, उस का पूर्ण उपयोग संबन्धित वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए था। अभिलेखों में पाया गया कि उक्त धनराशि का उपयोग समय से न हो पाने के कारण भारत सरकार से परियोजनाएँ पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के पश्चात कुल ध्येय राशि में रू 3.66 करोड अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर परियोजना निदेशक दवारा उत्तर में बताया गया कि जलागम समितियों तथा ग्राम पंचायतों को कार्य पूर्ण करने हेतु बार बार निर्देश जारी किए गए परंतु उन के दवारा कार्य पूर्ण करने हेतु किए गए प्रयासों से संबन्धित कोई अभिलेख/साक्ष्य अभिकरण दवारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

अतः विभाग के अपर्याप्त प्रयासों के कारण सुखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं 5 से 9 वर्ष के विलम्ब के बावजूद अपूर्ण रहने तथा केन्द्र दवारा ध्येय धनराशि में से रू 3.66 करोड अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर **- 2(**अ) साँसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना **(**राज्य सभा) के सम्बन्धित रू **53.**लाख के कार्य अपूर्ण व अनारम्भ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ,पौडी की लेखापरीक्षा (नवम्बर 2017) के दौरान सासंद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (राज्य सभा) से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2014 में 55.30 लाख की आवंटित धनराशि से कार्यान्वित कराए जाने वाले 22 कार्यो के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 4 कार्य पूर्ण किए जा चुके थे। शेष कार्यो में से 5 कार्य अपूर्ण तथा 13 कार्य विगत तीन वर्षे से अधिक समय के विलम्ब के बावजूद अनारंम्भ पाए गए।

वर्ष 2016 में लगभग 50 लाख के 4 कार्य स्वीकृत हुए जिन के सापेक्ष कोई कार्य वर्तमान तक (लेखापरीक्षा अवधि तक) पूर्ण नहीं किया गया तथा 2 कार्य अनारम्भ रहे।

अतः वर्ष 2014 व वर्ष 2016 में कुल स्वीकृत 26 कार्ये हेतु आवंटित धनराशि रू 105.17 लाख के सापेक्ष म़ात्र रू 51.925 लाख का उपयोग कर 4 कार्य पूरे किए ।

उक्त के सम्बन्ध में पूछे जाने पर परियोजना निदेशक द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्यो से सम्बन्धित आगजन विलम्ब से भेजे जाने के कारण कार्य अनारम्भ रहे। उत्तर में आगे बताया गया कि यदि कार्य शीध्र पूर्ण नहीं किए गए तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के विरूद्व कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्यों कि विगत तीन वर्षो में अनारम्भ कार्यों को आरम्भ करानें तथा अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु अभिकरण द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

इस प्रकार विभागीय शिथिलता के कारण रू 53 लाख के कार्य अपूर्ण व अनारम्भ रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर **2** (ब) सांसद निधि के अन्तर्गत वर्ष **2014-15** एवं **2015-16** में प्रारम्भ किए गये **80.10** लाख की धनराशि के कार्य अपूर्ण रहना।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर महसूस की गयी जरूरतों पर पर आधारित जैसे सडके , विघुत , पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि के क्षेत्र में टिकाऊ एवं सामुदायिक परिसम्पतियों के सृजन पर बल दिया जाना होता हैं। उक्त योजना के दिशा निर्देशों के प्रस्तर 3.13 के अनुसार स्वीकृत आदेश में कार्यान्वयन ऐजेन्सी के लिए कार्य समापन की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, कार्य समापन के लिए समय सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए यदि किसी मामले में , जहाँ कार्यान्वयन समय एक वर्ष की समय सीमा पार कर जाता है तो उसके लिए पत्र में विशेष उल्लख किया जाना चाहिए निर्धारित समय मे कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन ऐजेन्सी के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिए,

सांसध निधि से सम्बंधित कार्यो के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में 120 कार्य स्वीकृत किये गये थे जिसकी लागत रू 208.00 लाख थी इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में 41 कार्य स्वीकृत किये गये थे जिनकी लागत रू 98.75 लाख थी। आगे अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में 17 कार्य अभी भी अपूर्ण है एवं वर्ष 2015-16 में भी 26 कार्य अपूर्ण है जिनकी कुल लागत रू 80.10 लाख है। वर्ष 2015-16 में 26 कार्यो में से 11 कार्य ऐसे है जो अभी तक प्रारम्भ ही नहीं हुए है।

उपर्युक्त अपूर्ण / अनारम्भ कार्यों के सम्बंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि माननीय सांसद महोदय से कार्यो की अनुशंसा मई 2015 में प्राप्त हुई एवं कार्यदायी संस्थाओं को अगस्त 2015 में धनराशि निर्गत की गयी 2014-15 में एक कार्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रारम्भ नहीं हो पाया है। शेष कार्यो की भौतिक स्थिति 90 प्रतिशत वर्ष 2015-16 में तीन कार्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण एवं शेष कार्यो का 989753417 गठित न होने के कारण प्रारम्भ नहीं हो पाये है

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों कि उक्त कार्य छोटे छोटे है जो निर्धारित समय में पूण किये जाने चाहिए नही ंतो कार्यो की गुणवता पर विपरीत प्रभाव पडता है। उक्त कार्य सामान्यतः एक वर्ष में पर्ण किये जाने चाहिए थे। उक्त कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर **3 -** उत्तराखण्ड सीमान्त एवम पिछडा क्षेत्र विकास के अर्न्गत वर्ष **2014-15** एवम **2015-16** में प्रारम्भ किये रू.**141.71** लाख की धनराशि के कार्य अपूर्ण रहना ।

उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य है जो भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अन्य राज्यों से भिन्न है। पर्वतीय क्षेत्र के गाँव तथा दूरस्थ क्षेत्रों को एवं वहाँ निवास करने वाले जनमानस को स्थानीय आधारभूत अवस्थापना संरचनाओं और विकास सम्बंधी अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उददेश्य से उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछडा क्षेत्र विकास निधि योजना प्रारम्भ की गयीं। इस निधि के तहत विभिन्न विकासोन्मुख योजनाओं के माध्यम से किये जा रहे कार्यो के ऐसे अन्तर को भी पूर्ण किया जायेगा जो संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आच्छांदित नहीं हो पा रहे हो। उक्त योजना शत प्रतिशत राज्य वित पोषित योजना है जिसके अन्तर्गत 74 पिछडे विकास खण्डो का चयन किया गया हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में कार्य किया जाना है ।

उपर्युक्त योजना से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जनपद पौडी में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा निम्न योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं।

वर्ष	कुल स्वीकृत कार्य	स्वीकृत धनराशि (लाख रू में)	अवमुक्त धनराशि (लाख रू में)
2014-15	72	465.00	350.00
2015-16	79	745.96	496.46
कुल योग	**151**	**1210.96**	**846.46**

आगे अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में स्वीकृत कुल 151 कार्यो में से 23 कार्य अभी भी अपूर्ण है जिन 23 कार्यो को अपूर्ण दर्शाया गया है उनकी स्वीकृति लागत रू 141.71 लाख है तथा रू 141.71 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू 106.28 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्थाओ को अवमुक्त की जा चुकी हैं।

उपर्युक्त के सम्बंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि जो धनराशि निर्गत की गयी थी उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये है अपूर्ण कार्यो के कारणों के बारे में इकाई ने काई उत्तर नहीं दिया है और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर **4 - NRLM** योजना के तहत किये जाने वाले कार्यो पर दिशा निर्देशों का अनुपालन न किया जाना।

NRLM के अधिदेश में सभी निर्धन परिवारों तक पहुँच सुनिश्चित करना, उन्हे स्थायी जीविका अवसर उपलब्ध कराना और गरीबी से उपर आने तक उनका पोषण करना निहित है, ताकि वे अच्छा जीवन बसर कर सकें। इसके लिए NRLM में विभिन्न स्तरों पर समर्पित एवं संवेदन शील सहायक संरचनाओं की व्यवस्था की गयी।

उपर्युक्त योजना से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच एवं इकाई से प्राप्त सूचना मे पाया गया कि विकलांगों से सम्बंधित स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया हैं। कलस्टर संगठनों का गठन नहीं किया गया है अभी तक CIF के तथ्य प्राप्त धनराशि किसी स्वयं सहायता समूह ने वापस नहीं लौटाई यह कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं करने का कारण नहीं बताया है। जाँच मे पाया गया कि अभी तक सभी लाभार्थी लाभान्वित नहीं हुए है। योजना को पर्याप्त समय हो जाने के उपरान्त भी VO का कलस्टर लेबल संगठन से संबध नहीं हो पाया हैं।

उपर्युक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि VO को कलस्टर संगठन में संगठित करने की कार्यवाही की जा रही हैं। सभी लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है एवं समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना तैयार की जा रही हैं। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना को चालू हुए काफी समय हो गया है। परन्तु अभी तक इसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है